



सत्यमेव जयते

कुलाधिपति
Chancellor

जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय,
University,
राज भवन, जयपुर – 302006
Raj Bhawan, Jaipur

क्रमांक : एफ.2(14)आरबी/2017/7216
दिनांक : 16 सितम्बर, 2019

आदेश

राजभवन के आदेश क्रमांक एफ.2(14)आरबी/2017/5861 दिनांक 02.08.2019 द्वारा जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय अधिनियम, 1962 (यथासंशोधित 2017) की धारा 11(9) एवं 11(10) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार की सलाह से डॉ० विष्णु शर्मा, कुलपति, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर को अग्रिम आदेशों तक अथवा नियमित कुलपति की नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, अस्थाई व्यवस्था अन्तर्गत अतिरिक्त प्रभार के रूप में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर के विश्वविद्यालय के कुलपति पद के कृत्यों के निर्वहन के लिए निर्देशित किया गया था।

डॉ० विष्णु शर्मा द्वारा जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर के कुलपति पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित करने में पत्र दिनांक 22.08.2019 द्वारा असमर्थता जाहिर की गई है जिसे राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.6(10)शिक्षा-4/2014पार्ट दिनांक 13.09.2019 द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

अतः मैं, कलराज मिश्र, कुलाधिपति, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर उक्त विश्वविद्यालय के अधिनियम 1962 (यथासंशोधित 2017) की धारा 11(9) व 11(10) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार की सलाह से डॉ० बी. आर. चौधरी, कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर को अग्रिम आदेशों तक अथवा नियमित कुलपति की नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, अस्थाई व्यवस्था अन्तर्गत अतिरिक्त प्रभार के रूप में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर के कुलपति पद के कृत्यों के निर्वहन के लिए निर्देशित करता हूँ।

हस्ता०
(कलराज मिश्र)
राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति

क्रमांक एफ.2(14)आरबी / 2017 / 7217

दिनांक : 16 सितम्बर, 2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. डॉ० विष्णु शर्मा, कुलपति, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर।
6. डॉ० बी. आर. चौधरी, कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर।
6. कुलसचिव, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
7. कुलसचिव, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर।
8. कुलसचिव, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर।



(हरीश कुमार)
प्रभारी अधिकारी, उच्च शिक्षा